



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13062024-254693
CG-DL-E-13062024-254693

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2024/ज्येष्ठ 23, 1946

No. 300]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2024/JYAISHTHA 23, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

सं. 09/2024-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 323(अ).—जब कि चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित 'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत माल से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 30 10, 3904 30 90, 3904 90 00, 3904 40 00 और 3904 90 90 के अंतर्गत आते हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने प्रारम्भिक निष्कर्षों में संख्या 6/17/2023-डीजीटीआर, दिनांक 26 अप्रैल, 2024, जिसे दिनांक 26 अप्रैल, 2024 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में अनंतिम रूप से निष्कर्ष दिया है कि –

- (i) विचारार्थ उत्पाद विषयगत देशों से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर निर्यात किया गया है जिसके कारण डंपिंग हुई है;
- (ii) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं के आयात में निरपेक्ष रूप से तथा उत्पादन और खपत के संबंध में भारी वृद्धि हुई है;
- (iii) घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति विषयगत देशों से डंप किए गए आयातों के कारण हुई है,

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर अनंतिम प्रतिपादन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आकलन तथा उन पर प्रतिपादन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 13 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा, विषयगत वस्तुओं पर, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उस टैरिफ मद के अंतर्गत आती है: जो कि नीचे कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, जो कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलतः उत्पादित है, जो कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, और कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, उक्त सारणी के कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप की इकाई के अनुसार प्रतिपादन शुल्क लगाती है, यथा –

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200 39043010 39043090 39049000 39044000 39049090 ##	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है ##	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	फॉर्मोसा इंडस्ट्रीज (निंगबो) कंपनी लिमिटेड	546	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	शेनयांग केमिकल कंपनी लिमिटेड	115	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		भी जाना जाता है ##						
3.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	ऊपर उल्लिखित एसएन 1 और 2 के अलावा कोई भी उत्पादक	600	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	विषयगत देशों के अलावा कोई भी अन्य देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	600	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	शून्य	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोरिया जनवादी गणराज्य सहित कोई देश	ऊपर उल्लिखित एसएन 5 के अलावा कोई भी उत्पादक	41	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	विषयगत देशों के अलावा कोई भी अन्य देश	कोरिया जनवादी गणराज्य	कोई भी उत्पादक	41	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
8.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	कनेका पेस्ट पॉलिमर एसडीएन. बी.एच.डी.	317	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #						
9.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	मलेशिया	मलेशिया सहित कोई भी देश	पर उल्लिखित एसएन 8 के अलावा कोई भी उत्पादक	375	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	विषयगत देशों के अलावा कोई भी अन्य देश	मलेशिया	कोई भी उत्पादक	375	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	फॉर्मोसा प्लास्टिक कॉर्पोरेशन	118	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लिखित एसएन 11 के अलावा कोई भी उत्पादक	168	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	विषयगत देशों के अलावा कोई भी देश	ताइवान	कोई भी उत्पादक	168	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
14.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई	टीपीसी पेस्ट रेजिन कंपनी	195	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

		रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #		भी देश	लिमिटेड			
15.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है #	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	उपर्युक्त एसएन 14 के अलावा कोई भी उत्पादक	252	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
16.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है # #	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	थाईलैंड	कोई भी उत्पादक	252	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
17.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है # #	नॉर्वे	नॉर्वे सहित कोई भी देश	कोई भी उत्पादक	328	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
18.	वही	'पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेसिन', जिसे इमल्शन पीवीसी रेसिन के नाम से भी जाना जाता है # #	विषयगत देशों के अलावा कोई अन्य देश	नॉर्वे	कोई भी उत्पादक	328	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

#निम्नलिखित उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे से बाहर रखा गया है:

क) 60K से कम K मान वाला पीयूसी

ख) पीवीसी ब्लेंडिंग रेजिन

ग) पीवीसी पेस्ट रेजिन के सह-पॉलिमर

घ) बैटरी सेपरेटर रेजिन

ड) इनोविन यूरोप लिमिटेड द्वारा उत्पादित ब्रांड नाम “बायोविन”

सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।”

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) के लिए लगाया जाएगा और यह भारतीय मुद्रा में देय होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु ऐसे प्रतिपाटन शुल्क, की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई है और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुतिकरण की तारीख होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/63/2024-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2024

No. 09/2024-CUSTOMS (ADD)

G.S.R. 323(E).—Whereas, in the matter of ‘Poly Vinyl Chloride Paste Resin’ (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff items 3904 10 10, 3904 10 20, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 30 10, 3904 30 90, 3904 90 00, 3904 40 00 and 3904 90 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from China PR, Korea RP, Malaysia, Norway, Taiwan and Thailand (hereinafter referred to as the subject countries) and imported into India, the designated authority *vide* its preliminary findings No. 6/17/2023-DGTR, dated the 26th April, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 26th April, 2024, has provisionally concluded that—

- (i) the product under consideration that has been exported to India from the subject countries are at dumped prices;
- (ii) there is substantial increase in imports of subject goods from the subject countries in both absolute terms and in relation to production and consumption;
- (iii) the material injury suffered by the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject countries,

and has recommended imposition of provisional anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 13 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8) of the said Table, namely:—

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Country of origin	Country of exports	Producer	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200 39043010 39043090 39049000 39044000 39049090 ##	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Formosa Industries (Ningbo) Co., Ltd.	546	Metric Tonne	US\$
2.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Shenyang Chemical Co., Ltd.	115	Metric Tonne	US\$
3.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	People's Republic of China	Any country including People's Republic of China	Any producer other than SN 1 and 2 mentioned above	600	Metric Tonne	US\$
4.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	People's Republic of China	Any producer	600	Metric Tonne	US\$
5.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Korea RP	Any country including Korea RP	Hanwha Solutions Corporation	Nil	Metric Tonne	US\$
6.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than SN 5 mentioned above	41	Metric Tonne	US\$
7.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	Korea RP	Any producer	41	Metric Tonne	US\$
8.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also	Malaysia	Any country including	Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd.	317	Metric Tonne	US\$

		known as Emulsion PVC Resin #		Malaysia				
9.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Malaysia	Any country including Malaysia	Any producer other than SN 8 mentioned above	375	Metric Tonne	US\$
10.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	Malaysia	Any producer	375	Metric Tonne	US\$
11.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Taiwan	Any country including Taiwan	Formosa Plastics Corporation	118	Metric Tonne	US\$
12.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer other than SN 11 mentioned above	168	Metric Tonne	US\$
13.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	Taiwan	Any producer	168	Metric Tonne	US\$
14.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Thailand	Any country including Thailand	TPC Paste Resin Co., Ltd.	195	Metric Tonne	US\$
15.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than SN 14 mentioned above	252	Metric Tonne	US\$
16.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	Thailand	Any producer	252	Metric Tonne	US\$
17.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste	Norway	Any country	Any producer	328	Metric Tonne	US\$

		Resin', also known as Emulsion PVC Resin #		including Norway				
18.	do	'Poly Vinyl Chloride Paste Resin', also known as Emulsion PVC Resin #	Any country other than subject countries	Norway	Any producer	328	Metric Tonne	US\$

#The following products are excluded from the scope of the product under consideration (PUC):

- (a) PUC with a K value below 60K
- (b) PVC Blending Resin
- (c) Co-polymers of PVC Paste Resin
- (d) Battery separator resins
- (e) The brand name "Biovyn" produced by Innovyn Europe Ltd.

The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration. "

2. The provisional anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of six months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. CBIC-190354/63/2024-TRU Section-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.